न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
128 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023	11.12.2023	08.05.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री माणक चन्द जैन निवासी ग्राम पोस्ट सोहेले तह. पीपलू जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पवन किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड सोहेला तह. पीपलू जिला टोंक राज0। पिनकोड–304801।
2–मैसर्स पवन किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड सोहेला तह. पीपलू जिला टोंक राज0। पिनकोड–304801।

............अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(iv) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री विक्रम जैन एवं रोमेन्द्र गूर्जर उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 08/5/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.03.2023 को समय 04:00 पी.एम. पर मैसर्स पवन किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड सोहेला तह. पीपलू जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर प्रोपरायटर की हैसियत से श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री माणक चन्द जैन अपने प्रतिष्ठान पवन किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड सोहेला तह. पीपलू जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री माणक चन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री माणक चन्द जैन स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में स्टील की एक टंकी से लगभग 12–13 किलोग्राम **सरसों तेल(खुला)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

माणक चन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री माणक चन्द जैन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **सरसों तेल(खुला)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान में स्टील की एक टंकी में से लगभग 12–13 किलोग्राम **सरसों तेल (खुला)** में से 1600 ग्राम वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल (खुला) 1600** ग्राम को 4 अलग–अलग साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में प्रत्येक में 400–400 ग्राम भरकर, प्लास्टिक की शिशियों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3774 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3774नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/988 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एलएस/3815/एक्ट/2023/3907 दिनांक 26.09.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **सरसों तेल (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेघ एवं निर्बधन) नं. 2.3.15(1)(b) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री विक्रम जैन एवं श्री रोमेन्द्र गूर्जर उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सरसों तेल (खुला)** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सरसों तेल (खुला) जांच में **कॉन्ट्रावेन** (**Contravene**)व **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसों तेल (खुला)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दरअनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/5/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(अमरतन सोकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0